न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0नं0 03 /अपील (आर0टी0आई) / 2021

कुलदीप नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,अकलेरा

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः 18/10/2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमो में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने 1. (अ) ग्राम हरिगढ के रामप्रताप आ0 केशरीलाल जाति बागरी को दिनांक 24.06.1988 को अनुसुचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये आपके कार्यालय मे पेश किये गये दस्तावेजो की सम्पूर्ण पत्रावलिया एवं सलग्न किये गये तहसीलदार खानपुर के प्रमाण पत्र एवं रामप्रताप बागरी द्वारा पेश किये गये स्वंय के शपथ पत्रो की प्रमाणित प्रतिया दीजिये। (ब) किसी भी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र मे जाति का अंकन किस आधार पर किया जाकर उसे उस वर्ग मे माना जाता है, जैसे राजरव/रेवेन्यू रिकार्ड, या अन्य, सबसे महत्पपूर्ण साक्ष्य किस आधार पर मानकर जाति कि रिपोर्ट बनाई जाती है, इसके सम्बंध मे प्रमाणित जानकारी दीजिये। 2.(अ) यदि उक्त दोनो जातिया/वर्ग एक ही है, तो इन दोनो जातियो के संबंध मे नियम शर्ते व किसी प्रकार का कोई आदेश जारी किया हो तो, इसकी प्रतिया सहित इसके सम्बंध मे प्रमाणित जानकारी दिजिये। (ब) यदि बागरी जाति एवं मोगिया (मोग्या) दोनो जातिया अलग अलग है तो दोनो जाति/वर्ग की राज्य सुची मे जाति का कमांक संख्या दिजिये, प्रमाणित प्रति। 3.राज्य मे अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग मे शामिल जाति/वर्ग की प्रमाणित अलग अलग सूची दीजिये। 4. उक्त व्यक्ति रामप्रताप बागरी पुत्र केशरीलाल जाति बागरी का जाति प्रमाण पत्र (सलग्न जाति प्रमाण पत्र प्रति) जारी करने वाले सक्षम अधिकारी एवं पटवारी का नाम व पद व पता की जानकारी दिजिये। 5. यदि उक्त व्यक्ति रामप्रताप बागरी पुत्र केशरीलाल जाति बागरी द्वारा (अनुसूचित जाति वर्ग) जाति प्रमाण पत्र मे किसी प्रकार की जानकारी छुपाकर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया है तो इसके सम्बंध मे क्या कार्यवाही की जायेगी, कार्यवाही करने की समय सीमा क्या होगी, कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा की जायेगी इसके सम्बन्ध मे प्रमाणित जानकारी दिजिये । लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी,अकलेरा द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अकलेरा को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 18.10.2021 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत केम्प होने से न्यायालय हाजा में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर करते हुए कार्यालय के कनिष्ठ सहायक को भिजवाया जाकर पत्रांकः 2921/पी.ए./21 दिनांक 14.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाहे गये जाति प्रमाण पत्रों का कार्यालय रिकार्ड में तलाश किया गया उपलब्ध रिकार्ड में उक्त प्रमाण पत्र पाया जाना अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय में स्वंय आवदक को मोखिक रूप से अवगत करा दिया गया था। आवेदक द्वारा चाहा गया रेकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अकलेरा से चाहा गया रेकार्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उपलब्ध कराया जाना संभव नही होना जाहिर किया गया है व इस बाबत अपीलार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है। अपीलार्थी का न्यायालय में दौराने सुनवाई बावजूद सूचना उपस्थित नही होना व उपखण्ड अधिकारी,अकलेरा द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से इस बाबत अवगत कराना कि वांछित रेकार्ड उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से अपीलार्थी को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड